प्रारूप – दो

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)

website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com Phone No. - 0771-4270028

क्रमांक/मान्यता नवीनीकरण/2023-24/186 रायपुर, दिनांक 05/01/2024

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,
जय नारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
एन.एच.गोयल नरदहा नियर विधानसभा मार्ग (CBSE)
वि.ख.–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

—::00::—

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की दिनांक–20.11.2023 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण उपरांत मैं एन.एच.गोयल नरदहा नियर विधानसभा मार्ग वि.ख. आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.) को शिक्षा सत्र– 2024–25 से 2026–27 हेतु 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा–प्री प्रायमरी एवं 01वीं से 12वीं CBSE *(माध्यम–अंग्रेजी, गैर अनुदान मान्यता प्राप्त शाला)* तक के लिए अनंतिम मान्यता नवीनीकरण प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात मान्यता/संबद्धता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट –दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(क) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ङ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(च) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(छ) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
(नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग–4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
(दस) प्रतिवर्ष कक्षाओं से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाए।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानदण्डों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल – 24281.38 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र – 32067 वर्ग मीटर
खेल के मैदान का क्षेत्रफल – 1209 वर्ग मीटर, कक्षाओं की संख्या – 75 प्रधानपाठक कक्ष संख्या – 01
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – पृथक पृथक है, पेयजल सुविधा – है
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – है

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय का डाईस कोड–22112220912 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

(1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमीं से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।

(2) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

(3) शिक्षा के अधिकार के तहत् निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा WP (PIL) 52/2017 में पारित निर्णय अनुसार निजी विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री के एवज में राशि का भुगतान नहीं किया जाए बल्कि उन्हें पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

18. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अध्यधीन रहेगी।

19. विद्यालय यदि नहीं चलाना हो तो विद्यालय बंद करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं नोडल प्राचार्य को 06 माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें।

20. विद्यालय बंद करने हेतु आवेदन नहीं देने की स्थिति में शाला प्रबंधन/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

21. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ–13–19–20–03–2012 रायपुर, दिनांक 13.04.2012 एवं आदेश क्रमांक 2887/2016/20–3 रायपुर, दिनांक 22/04/2016 अनुसार शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिये "न लाभ न हानि" के सिद्धांत पर शाला संचालन किया जाय।

05/01/24

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/मान्यता नवीनीकरण/2023–24/187 रायपुर, दिनांक 05/01/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
2. जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला–रायपुर को सूचनार्थ।
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आरंग, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
4. प्राचार्य/नोडल अधिकारी शास.उ.मा.वि. .... जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

प्रारूप – तीन

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com, rmsaraipur@gmail.com
Phone No. - 0771-4002693

क्रमांक / मान्यता / नवीनीकरण / 2020 / 5483 रायपुर, दिनांक 25/11/2020

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष,
जय नारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
एन.एच.गोयल नरदहा नेयर विधान सभा विधानसभा मार्ग वि.खं.आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

––––00––––

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख **23.11.2020** के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण उपरांत मैं **एन.एच.गोयल नरदहा नियर विधान सभा विधानसभा मार्ग वि.खं.आरंग, जिला–रायपुर (छ. ग.) (माध्यम–अंग्रेजी)** (विद्यालय का नाम पता सहित) **को शिक्षा सत्र 2021–22 से 2022–2024 तक 03 वर्ष** की अवधि के लिए **कक्षा प्री–प्रायमरी एवं कक्षा पहली से आठवी तक** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता / संबध्दता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(पांच) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छः) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

ATTESTED

कृपया पृष्ठ पलटिये .....

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

(नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग–4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

(दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–
कुल निर्मित का क्षेत्र	–
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	–
कक्षाओं की संख्या	–
प्रधानपाठक–सह–कार्यालय–सह भण्डार के लिए कक्ष	–
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–
पेयजल सुविधा	–
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई	–
बाधारहित पहुंच	–
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	–

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक नवीनीकरण 2020–.................. डाईस कोड.......................... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इए संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमीं से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।

(2) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

18. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अध्यधीन रहेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृष्ठां.क्रमांक/मान्यता/नवीनीकरण/2020/5484 रायपुर, दिनांक :25/11/2020

प्रतिलिपि :–

1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आरंग जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/नोडल अधिकारी शास.उ.मा.वि. .... जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)

ATTESTED

27/11/20

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.

:: प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि – जय नारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 1418, दिनांक 13.05.2009 द्वारा संचालित शाला नाम एन.एच. गोयल नरदहा नियर विधानसभा मार्ग वि.ख. आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.) को कक्षा नवमीं से बारहवी तक नवीनीकरण विभागीय मान्यता (माध्यम–अंग्रेजी) पंजी अनुक्रमांक ......5483........दिनांक 25/11/20 पर वर्ष 2021–22 से 2023–2024 (03 वर्ष) की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टीपः–

(1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मदों में शुल्क मान्य होगा।

(2) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

(3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोड :–

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED
Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.

:: प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि– जय नारायण हरिराम गोयल ..टेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)पंजी.क्रमांक 1418, दिनांक 13.05.2009 द्वारा संचालित शाला नाम एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा, रायपुर (छ.ग.) को कक्षा नवमीं एवं बारहवीं (माध्यम–अंग्रेजी) तक नवीननीकरण मान्यता पंजी अनुक्रमांक 663 दिनांक 28-01-2017 पर दिनांक 2017–18 से 2020–21 तक 05 वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टीपः–

(1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मदों में शुल्क मान्य होगा।

(2) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

(3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोड :–

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED

N.H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

प्रारूप – तीन

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)

website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com, rmsaraipur@gmail.com
Phone No. - 0771-4002693

/ मान्यता / नवीनी. / .... / 2017 / 663 रायपुर, दिनांक : 22/ / / 2017

प्रबंधक / अध्यक्ष,
जय नारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाडीह रायपुर, जिला–रायपुर(छ.ग.)
एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा ,रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)(माध्यम–अंग्रेजी)

:– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

——00——

/ महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख **22–12–2016** के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती ...ार / निरीक्षण उपरांत मैं **एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) (माध्यम–अंग्रेजी)** (विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख **2017–2018 से 2020–21** तक पांच वर्षो की अवधि के लिए **कक्षा नर्सरी एवं पहलीं से आठवीं तक** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता / संबंध्दता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

पैरा–3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(पांच) अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छः) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

कृपया पृष्ठ पलटिये .....

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

(नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग–4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

(दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–
कुल निर्मित का क्षेत्र	–
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	–
कक्षाओं की संख्या	–
प्रधानपाठक–सह–कार्यालय–सह भण्डार के लिए कक्ष	–
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–
पेयजल सुविधा	–
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई	–
बाधारहित पहुंच	–
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	–

विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक नवीनीकरण 2017–.................... डाईस कोड.................... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इए संख्यांक का उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमीं से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।

) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अध्यधीन रहेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)

मांक/मान्यता/नवीन/............/2017/ रायपुर, दिनांक : / /2017

पि :–

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसींवा/अभनपुर/आरंग/तिल्दा, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

प्राचार्य/नोडल, अधिकारी शास.उ.मा.वि. .... जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)

30/1/17

जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर (छ.ग.)
(जिला/राज्य का नाम)
कार्यालय दूरभाष : 0771-2427717, फैक्स : 0771-2439899

ज्ञाप क./मान्यता/नवीनीकरण/2011/ 5209 /दिनाँक : 07/08/2011
प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

अग्र नारायण हरिराम गोयल मेमो० स्कूल रायपुर
एम.एच. गोयल उ.मा.वि. नरदहा

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लियें, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

DEO RAIPUR

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 30.06.2011. के संदर्भ में और इस संबध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं एम. एच. गोयल उ.मा. विद्यालय (विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख 2011 से 2014 तक तीन वर्षो की अवधि के लिए, कक्षा 11वीं से 12वीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं :-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्वन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूल के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधा का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी (प्रारंभिक) शिक्षा पूरी होने

ATTESTED
Principal
M. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(पांच) अधिनियम के उपबंधों य के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छः) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है 5वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और

(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानदण्डों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित का क्षेत्र
खेल के मैदान का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्रधानपाठक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन् सामग्री / क्रीडा खेलकूद के उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

ATTESTED

N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड सख्यांक HS.S. 97 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

टीप :– स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

8/8/11

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रं / मान्यता / नवीनीकरण / 2011 / 5210 / रायपुर, दिनांक 07/08/2011

प्रतिलिपि :–

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी .... आरंग ..... को सूचनार्थ।

8/8/11

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी

D.E.O. RAIPUR
EMPOWERING TODAY
FOR BETTER TOMORROW
Raipur (C.G.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2009-10 से

पंजीयन क्रमांक 290/18-10-2006 द्वारा संचालित

शाला नाम एन. एच. गोयल वर्ल्ड स्कूल, नरदहा, रायपुर

को कक्षा पहली से पाँचवीं/आठवीं/दसवीं/बारहवीं तक संचालन हेतु विभागीय

मान्यता प्रदान कर अनुक्रमांक 1418 (अंग्रेजी माध्यम) पर

दिनाँक 13-05-2009 को पंजीकृत किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी

D.E.O. RAIPUR
EMPOWERING TODAY
FOR BETTER TOMORROW
Raipur (C.G.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2008-09

पंजीयन क्रमांक 290/ 18-10-2006 द्वारा संचालित

शाला नाम एन० एच गोयल. वर्ल्ड स्कूल, नरदाहा

को कक्षा पहली से पाँचवीं / आठवीं / दसवीं / बारहवीं तक संचालन हेतु विभागीय मान्यता प्रदान कर अनुक्रमांक 1301 पर

दिनाँक 30-05-2008 को पंजीकृत किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

N.H. GOEL WORLD SCHOOL ★ RAIPUR (C.G.)